यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) - III, राज्य कर, रूद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) - III, राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.02.2019 से 01.03.2019 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.12.2015 से 01.01.2016 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2298.97
2016-17	2776.33
2017-18	1330.48

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में ट्रेंडर्स को आच्छादित किया गया है यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) - III, राज्य कर, रूद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व:- -03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय:- ------ को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-01 कर का न्यूनारोपण ₹ 21.25 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) से सम्बंधित अनुसूची – II(B) के क्रम संख्या 109 की प्रविष्टि के अनुसार नमकीन की बिक्री पर 4.5% (25.05.2012 से 5%) की दर से कर आरोपणीय होगा|

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार ही अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) –3 राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में निम्नांकित कमिया पाई गयी:-

व्योवहारी सर्वश्री अनेजा ट्रेडर्स, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के वाद में ₹1,24,48,440/- के (**SNACKS)** (O' Yes) की बिक्री 4.5% एवं 5% की दर से की गई थी| क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही थी अत: उक्त वस्तु की बिक्री पर क्रमशः 9% एवं 8.5% की अन्तरीय दर से Rs 10,65,921/- के कर का न्यूनारोपण हुआ था|

व्योवहारी सर्वश्री विपिन ट्रेडर्स, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के वाद में ₹1,12,14,903/- के (**Charchare Ringo PUFFS**) की बिक्री 4.5% एवं 5% की दर से की गई थी| क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही थी अत: उक्त वस्तु की बिक्री पर क्रमशः 9% एवं 8.5% की अन्तरीय दर से **₹ 9,61,239**/- के कर का न्यूनारोपण हुआ था|

व्योवहारी सर्वश्री क्लासिक इंटरनेशनल, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में ₹ 3,98,421/-एवं 2013-14 में ₹ 7,59,692/- की वाटर टैंक की बिक्री 4.5% एवं 5% की दर से की गई थी| क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही थी अत: उक्त वस्तु की बिक्री पर क्रमशः 9% एवं 8.5% की अन्तरीय दर से ₹98,757/- के कर का न्यूनारोपण हुआ था|

(विवरण संग्लन)

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तीनो प्रकरणों के सन्दर्भ में जांचोपरांत कार्यवाही कर सूचित करने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण शासन / विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया|

<u>सूची</u>

व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	विक्रय की गई वस्तु का नाम	विक्रय धन (₹ में)	आरोपित कर की दर/आरोपणीय कर की दर(%)	अन्तरीय कर की दर	आरोपणिय कर की धनराशि (₹ में)
1. सर्वश्री क्लासिक इंटरनेशनल, रुद्रपुर	2012-13	Water Tank	62269	4.5%/13.5	9%	5604
			336152	5%/13.5	8.5%	28573
	2013-14		759692	5%/13.5	8.5%	64574
2. सर्वश्री अनेजा ट्रेडर्स, रुद्रपुर	2012-13	O' Yes (SNACKS)	1560780	4.5%/13.5	9%	140470
			10887660	5%/13.5	8.5%	925451
3. सर्वश्री विपिन ट्रेडर्स, रुद्रपुर	2012-13	Charchare Ringo (SNACKS)	1594344	4.5%/13.5	9%	143491
			9620559	5%/13.5	8.5%	817748
कुल						2125911

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 7.97 लाख|

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा – 10 'ए' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फार्म – सी के विरुद्ध रियायती दर पर व्यापारी के केन्द्रीय प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओ की खरीद किये जाने पर उस वस्तु पर आरोपणीय कर का 1.5 गुना अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क०नि०) –III राज्यकर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच मैं पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जी. पी. एम. इंटरप्राइजेज, रुद्रपुर कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा फार्म – सी जारी करके प्रान्त के बाहर से ₹39,34,899/- के "Aluminium Extrusion" का रियायती दर पर क्रय किया गया था| जबकि केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार व्यापारी को उक्त वस्तु की प्रपत्र – सी निर्गत करके प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु दिनांक 13.07.2015 से अधिकृत किया गया था अत: उपरोक्त अवधि में व्यापारी "Aluminium Extrusion" की फॉर्म – सी के विरुद्ध प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं था | इस प्रकार केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत ₹ 7,96,817/- (₹ 39,34,899/-X 13.5%X1.5 गुना) का अर्थदण्ड आरोपणीय था|
(सूची संलग्न)

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वाशन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

प्रकरण शासन / विभाग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया|

RS/CT-158/2018-19

सूची

Invoice wise list of Inter-state purchase against Form 'C'

क्रमांक सं	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	फार्म – सी संख्या	फॉर्म – C निर्गत की तिथि	वस्तु का नाम	धनराशि (₹ में)
1.	सर्वश्री जी. पी. एम. इंटरप्राइजेज, रुद्रपुर	2013-14	UKC031406264675	13.06.2014	Aluminium Extrusion	1439593
			UKC061416611259	13.06.2014	Aluminium Extrusion	707996
			UKC061416688265	13.06.2014	Aluminium Extrusion	1787308
TOTAL						3934897

<u>भाग 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर स-0</u><u>1</u> **<u>अर्थदण्ड का अनारोपन ₹ 1.27 लाख</u>**<u>|</u>

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यैहारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) **–**III राज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 01 व्यापारी द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि Rs**12,72,140** /- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलग्न)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियमानुसार Rs**1,27,214**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

<u>सूची</u>

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (Rs)	न्यूनतमआरोपणीय अर्थदण्ड (Rs) @ 10%
1.	**सर्वश्री डाटा इंडस्ट्रीज, रुद्रपुर टिन: 05010252828**	**2013-14**	04/2013	03.06.2013	976369	97636.9
			09/2013	02.11.2013	22399	2239.9
			01/2014	26.02.2014	16313	1631.3
			02/2014	26.03.2014	27393	2739.3
2.	सर्वश्री अम्बिका इंटरप्राइजेज, रुद्रपुर टिन : **05004600735**	**2013-14**	08/2013	26.10.2013	35884	3588.4
			09/2013	16.11.2013	50146	5014.6
			10/2013	19.12.2013	46427	4642.7
			11/2013	28.12.2013	49372	4937.2
			01/2014	14.02.2013	47837	4783.7
Total					**1272140**	**127214**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
DP-555/2002-03	01	
DPTT-46/2004-05	01	
SRG-29/2008-09	01,02,03	01,02
SRA CT-10/2011-12	-	01,02
CT-42/2014-15	-	01,02
CT-38/2014-15	01	01,02 STAN 01

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) - III, राज्य कर, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री विनय कुमार पांडेय	सहायक आयुक्त
2	श्रीमती दमयन्ती जंगपांगी	सहायक आयुक्त
3	श्रीमती तारा बिस्ट	राज्य कर अधिकारी
4	श्रीमती प्रतिमा पंत	राज्य कर अधिकारी
5	श्री कैलाश चन्द्र आर्या	राज्य कर अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) - III, राज्य कर, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र